सं0-30/2023/ /002-1799-23-12-2022-1799/2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1203नि0/107-01नि0/22-23, दिनांक 15.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर कार्य के लिये कुल रू0 12243.97 लाख (रू0 एक अरब बाईस करोड़ तिरालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विवरण तालिका के अंकित उक्त कार्य हेतु रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। परियोजना का विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रम सं0	**जनपद/खण्ड का नाम**	**कार्य का नाम**	**मार्ग की श्रेणी एवं संख्या**	**लम्बाई (किमी0)**	**कुल स्वीकृत लागत**	**आवंटन**
1	बदायूं, प्रा0ख0	जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर का कार्य।	एस0एच0 43	34.33	12243.97	200.00
			योग		**12243.97**	**200.00**

2- उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तगर्त की निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधनों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत किये जा रहे उक्त कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(10) अनु सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,लखनऊ के पत्र सं0-सीईआरओ/एलकेओ/सीआरआईएफ/2022-23, दि0 30.03.2023 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(12) प्रायोजना प्रस्तारव में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(13) प्रायोजना प्रस्तागव में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तीर्गत विद्युत विभाग द्वारा रू0 1292.42 लाख एवं वन विभाग द्वारा रू0 125.80 लाख का प्राविधान किया गया है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफ्टिंग का विद्युत विभाग एवं वन विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्य कराया जाय।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्ततरदायित्व कार्यदायी संस्था/ प्रशासनिक विभाग का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-24/2022/बी-1-750/दस-2022/231/2022 दिनांक 08 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना प्रस्तावित/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।

(18) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर, पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

3- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-04-केन्द्रीय सडक निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य-0470- मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-906-एक्स-2022-23-दिनांक 31-3-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या- 30/2023/ /002-1799-23-12-2022-1799/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2-नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें ।

3-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- अनु सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,लखनऊ के पत्र सं0- सीईआरओ/एलकेओ/सीआरआईएफ/2022-23, दि0 30.03.2023 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- केन्द्रीय सहायता अनुभाग, वित्त विभाग।

9- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

12- लोक निर्माण अनु0-10

13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सं0-30/2023/ /002-1799-23-12-2022-1799/2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1203नि0/107-01नि0/22-23, दिनांक 15.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर कार्य के लिये कुल रू0 12243.97 लाख (रू0 एक अरब बाईस करोड़ तिरालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विवरण तालिका के अंकित उक्त कार्य हेतु रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। परियोजना का विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रम सं0	**जनपद/खण्ड का नाम**	**कार्य का नाम**	**मार्ग की श्रेणी एवं संख्या**	**लम्बाई (किमी0)**	**कुल स्वीकृत लागत**	**आवंटन**
1	बदायूं, प्रा0ख0	जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर का कार्य।	एस0एच0 43	34.33	12243.97	200.00
			योग		**12243.97**	**200.00**

2- उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तगर्त की निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधनों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत किये जा रहे उक्त कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(10) अनु सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,लखनऊ के पत्र सं0-सीईआरओ/एलकेओ/सीआरआईएफ/2022-23, दि0 30.03.2023 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(12) प्रायोजना प्रस्तारव में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(13) प्रायोजना प्रस्तागव में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तीर्गत विद्युत विभाग द्वारा रू0 1292.42 लाख एवं वन विभाग द्वारा रू0 125.80 लाख का प्राविधान किया गया है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफ्टिंग का विद्युत विभाग एवं वन विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्य कराया जाय।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्ततरदायित्व कार्यदायी संस्था/ प्रशासनिक विभाग का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-24/2022/बी-1-750/दस-2022/231/2022 दिनांक 08 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना प्रस्तावित/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।

(18) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर, पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

3- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-04-केन्द्रीय सडक निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य-0470- मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-906-एक्स-2022-23-दिनांक 31-3-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या- 30/2023/ /002-1799-23-12-2022-1799/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2-नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें ।

3-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- अनु सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,लखनऊ के पत्र सं0- सीईआरओ/एलकेओ/सीआरआईएफ/2022-23, दि0 30.03.2023 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- केन्द्रीय सहायता अनुभाग, वित्त विभाग।

9- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

12- लोक निर्माण अनु0-10

13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सं0-30/2023/ /002-1799-23-12-2022-1799/2022

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1203नि0/107-01नि0/22-23, दिनांक 15.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर कार्य के लिये कुल रू0 12243.97 लाख (रू0 एक अरब बाईस करोड़ तिरालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विवरण तालिका के अंकित उक्त कार्य हेतु रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। परियोजना का विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रम सं0	**जनपद/खण्ड का नाम**	**कार्य का नाम**	**मार्ग की श्रेणी एवं संख्या**	**लम्बाई (किमी0)**	**कुल स्वीकृत लागत**	**आवंटन**
1	बदायूं, प्रा0ख0	जनपद बदायूँ में मुरादाबाद-फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-43) के किमी0 106.670 से 141.00 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर का कार्य।	एस0एच0 43	34.33	12243.97	200.00
			योग		**12243.97**	**200.00**

2- उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तगर्त की निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधनों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत किये जा रहे उक्त कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(10) अनु सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,लखनऊ के पत्र सं0-सीईआरओ/एलकेओ/सीआरआईएफ/2022-23, दि0 30.03.2023 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(12) प्रायोजना प्रस्तारव में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(13) प्रायोजना प्रस्तागव में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तीर्गत विद्युत विभाग द्वारा रू0 1292.42 लाख एवं वन विभाग द्वारा रू0 125.80 लाख का प्राविधान किया गया है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफ्टिंग का विद्युत विभाग एवं वन विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्य कराया जाय।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्ततरदायित्व कार्यदायी संस्था/ प्रशासनिक विभाग का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-24/2022/बी-1-750/दस-2022/231/2022 दिनांक 08 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना प्रस्तावित/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।

(18) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर, पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

3- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-04-केन्द्रीय सडक निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य-0470- मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-906-एक्स-2022-23-दिनांक 31-3-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या- 30/2023/ /002-1799-23-12-2022-1799/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2-नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें ।

3-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- अनु सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,लखनऊ के पत्र सं0- सीईआरओ/एलकेओ/सीआरआईएफ/2022-23, दि0 30.03.2023 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- केन्द्रीय सहायता अनुभाग, वित्त विभाग।

9- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

12- लोक निर्माण अनु0-10

13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in